न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2019	2019/00002	10.01.2019	12.02.2021

1. श्री उदयलाल पुत्र श्री लालाजी जाति मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. कमलाबाई पुत्री श्री लालाजी मीणा पत्नी श्री गोर्धन जी मीणा निवासी पानमोड़ी तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्री मांगीलाल पुत्र_श्री लालाजी जाति मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री उंकारलाल पुत्र श्री लालाजी जाति मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. कंचनबाई पत्नि श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी दिवाला तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार साहब प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकण संख्या 783/14.02.2006 तहसीलदार प्रतापगढ़

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार खोईवाल अपीलार्थी
2. श्री लाल सिंह जाट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 4

–: आदेश :– दिनांक 12.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुलथाना की खाता संख्या 363 में वर्णित आराजी संख्या 1252 रकबा 1.24 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1259/2511 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 2 सम्पूर्ण रकबा 1.36 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के दिगर खातेदारा श्रीमती देउ बाई पुत्री बगदीराम पिता भेरा जी मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्तानुसार देउबाई की मृत्यु के उपरान्त भूमियां जरिये विरासत से इंतकाल देउबाई के वारीसान क्रमशः मांगीलाल, उंकारलाल, उदयलाल, कमलाबाई के नाम दर्ज होनी थी किन्तु विवादित

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 के अनुसार उक्त भूमियों का इंतकाल मात्र मांगीलाल एवं उंकारलाल के नाम पर ही खोला गया जो गलत होने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील सजरा खानदान अनुसार सादर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सजरा खानदान अनुसार उक्त भूमियों का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में देउबाई की जायन्दा संतानों/वारीसान क्रमशः मांगीलाल, उंकारलाल, उदयलाल, कमलाबाई के नाम हक हिस्से अनुसार दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 कि ओर से अधिवक्ता श्री लाल सिंह जाट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कि ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार बंजारा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कि ओर से पेरोकार सरकार राजस्व उपस्थित हुए। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहते उनके विरूद्ध दिनांक 25.05.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 को निरस्त फरमाने तथा देउबाई की जायन्दा संतानों/वारीसान क्रमशः मांगीलाल, उंकारलाल, उदयलाल, कमलाबाई के नाम 1/4 हक हिस्से अनुसार दर्ज कराने का निवेदन किया गया।

इसी प्रकृम में दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण के संबंध में प्रचलित विधियों के तहत अपील अपीलार्थी मेरिट आधार पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड क्रमशः विवादित नामान्तरकण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 एवं सजरा खानदान ग्राम पंचायत बोरी दिनांक 02.01.2019 तथा प्रकरण में नामान्तरकरण हेतु प्रचलित विधियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 अन्तर्गत उक्त भूमियों के दिगर खातेदार श्री भेरा (फौत) के वारीसान श्री बगदीराम (फौत), नन्दा (फौत) गमेरा (फौत) के उपरान्त मृतक श्री बगदीराम (फौत) के वारीसान देउबाई (फौत) तथा कंचनबाई के बाद देउबाई के फौत होने उपरान्त देउबाई के वारीसान मांगीलाल, उंकारलाल, उदयलाल, कमलाबाई के नाम तथा कंचनबाई पुत्री बगदीराम दर्ज किया जाना उचित रहा है।

किन्तु विवादित नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 के अनुसार उक्त भूमियों में देउबाई की दो जायन्दा संतानों मांगीलाल एवं उंकारलाल का ही नाम अंकन किया गया है तथा उदयलाल का नाम अंकन किया जाकर मिटाया जाना भी दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसील प्रतापगढ़ द्वारा निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 783 दिनांक 14.02.2006 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से संबंधित भूमियां ग्राम कुलथाना पटवार हल्का कुलथाना तहसील प्रतापगढ़ के खाता संख्या 363 आराजी संख्या 1252 रकबा 1.24 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1259/2511 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.36 हैक्टर भूमियों के संबंध में अससरेनों कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृतका देउबाई पुत्री बगदीराम के वारीसान की जांच कर विधिवत् नामान्तरकरण पारीत करे। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 12.2.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़